नाम– शिक्षक – गौरव सिंह कार्की

पद – प्रवक्ता राजनीति विज्ञान

विद्यालय – एस.डी.एस.रा.इ.का. पिथौरागढ़

विषय – राजनीति विज्ञान

कक्षा– 12

राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां

कक्षा– 11

संघवाद

राष्ट्र–निर्माण की चुनौतियॉं

कक्षा–12

Presented by – Mr. Gaurav Singh Karki Pol.Science Lecturer S.D.S. G.I.C. Pithoragarh

200 वर्षों की गुलामी के पश्चात् ब्रिटिश राज से 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतन्त्रता प्राप्ति हुई । एक नये स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में भारत का उदय, भारत के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। ब्रिटिश राज से छुटकारा मिलना भारत के लिये जहॉं एक ओर खुशी का पल था वहीं दूसरी ओर स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में होना पीड़ादायक घटना भी थी। महात्मा गॉधी ने 14 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के सम्बन्ध में कलकत्ता मे कहा था कि "कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जायेंगे लेकिन आधी रात को भारत का बॅटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिये खुशी का दिन होगा और गम का भी " । इन परिस्थितियों के बीच एक नये राष्ट्र के रूप में भारत के समक्ष कुछ चुनौतियॉं खड़ी हुई। ये प्रमुख चुनौतियॉं निम्नलिखित थीं–

1. **एकता के सूत्र में बॉधने की चुनौती–** हम जानते हैं कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ राष्ट्र है। यहॉं विभिन्न जाति,धर्मों, भाषा,बोलियों और संस्कृति को मानने वाले रहते हैं। एक नये राष्ट्र के रूप में भारत इन विभिन्नताओं को एकता के सूत्र में बॉध पायेगा या नहीं यह एक बड़ी चुनौती थी। एक नये आजाद राष्ट्र के रूप में भारत को अपनी क्षेत्रीय अखण्डता को कायम रखना एक कठिन कार्य था।

ट्रिस्ट विद् डेस्टिनी (Tryst with destiny) - 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनके इस प्रसिद्ध भाषण को ही ट्रिस्ट विद् डेस्टिनी 'भाग्यवधू से चिर–प्रतीक्षित भेंट' के नाम से जाना जाता है।

2. **लोकतन्त्र को कायम करने की चुनौती–** भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्र व सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया था। भारत जैसे वृहद, नये और कम साक्षरता वाले राष्ट्र में एक सफल और मजबूत लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम रखना और लोकतांत्रिक व्यवहार बरताव लोगों के चलन में लाना एक बड़ी चुनौती थी।

3. आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की चुनौती– एक नये राष्ट्र के रूप में भारत के समक्ष तीसरी चुनौती देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास करना तथा इस विकास का लाभ देश की आम जनता तथा समाज के गरीब से गरीब तबके तक पहुँचाना था ताकि समूचे समाज का भला हो न कि किसी विशेष तबके पर ।

परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न

1. स्वतन्त्र भारत के समक्ष मुख्य रूप से कौन सी तत्कालीन चुनौतियाँ थी?
2. ट्रिस्ट विद् डैस्टिनी क्या है ?
3. स्वतन्त्रता के समय भारत के समक्ष आयी किन्ही तीन चुनौतियों की विस्तार से व्याख्या कीजिये?

भारत विभाजन– 14–15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में दो भागों में बॉट दिया गया। भारत के लिए यह विभाजन बहुत दर्दनाक था क्योंकि यह विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था। इसके कारण विभाजन के पश्चात अनेक समस्याओं का जन्म हुआ। भारत विभाजन के अनेक कारण थे जो निम्नलिखित थे–

1. अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन को फैलाने और मजबूत करने के लिए हिन्दु और मुस्लमानों को आपस में लड़ाया इसे 'फूट डालो और राज करो' की नीति कहा जाता हैं। इस नीति के कारण हिन्दू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे। जिसने भयंकर साम्प्रदायिक दंगों को जन्म दिया और भारत विभाजन का महत्वपूर्ण कारण बनी।

- मुस्लिम लीग द्वारा 'द्वि–राष्ट्र सिद्वान्त की मॉग भारत विभाजन का महत्वपूर्ण कारण बना।
- विभिन्न नेताओं की हठधर्मिता भी भारत विभाजन का एक कारण बनी मो0 अली जिन्ना,पं0 नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं के बीच में अनेक मुद्दों पर आपसी मतभेद थे। जिन्ना की हठधर्मिता भारत विभाजन का कारण बनी।
- साम्प्रदायिक दंगे विभाजन का सबसे बड़ा तात्कालिक कारण था। दंगों के कारण हजारों लोग मारे जा रहे थे। अतः इस कारण से साम्प्रदायिक दंगों के स्थान पर विभाजन ही उचित नजर आता था।

द्वि– राष्ट्र सिद्वान्त– इस सिद्वान्त के अनुसार भारत किसी एक कौम का देश न होकर 'हिंदू' और 'मुसलमान' नाम की दो कौमों का देश है। इसलिए मुसलमानों के लिए हिन्दुस्तान से अलग होकरएक अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण का समर्थन किया गया। मुस्लिम लीग तथा जिन्ना इसके समर्थक थे।

इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी समस्याएँ थी जिनके कारण भारत को एक रखना चुनौतीपूर्ण रहा और भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन दोनों क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत सी दिक्कतें लेकर आया। सभी नेता चाहे व मुस्लिम हों या हिन्दू विभाजन के पक्ष में नहीं थे। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान हों या महात्मा गाँधी ये विभाजन के विरोधी थे क्योंकि विभाजन अनेक समस्याओं को जन्म देने वाला था।

विभाजन के परिणाम– अंग्रेजों ने विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को रखा । इसके आधार पर मुसलमान बहुसंख्यक इलाकों को पाकिस्तान और शेष हिस्सों को भारत का अंग बनाया जाना था किन्तु ब्रिटिश इंडिया में ऐसे दो ही इलाके थे जहाँ मुस्लिम बहुसंख्या में थे। उसमें एक पूर्व में था जिसे बाद में पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) कहा गया। और दूसरा पश्चिम में था जिसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। इसके अलावा अन्य हिस्से या तो भारत के पास रहने थे या स्वतन्त्र राज्य के रूप में। भारत विभाजन के निम्नलिखित परिणाम देखने को मिले।

सीमान्त गाँधी– खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गाँधी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 6 फरवरी 1890 में पाकिस्तान के पेशावर में हुआ। ये पश्चिमोत्तर प्रान्त के निर्विवाद नेता थे। वे गाँधीजी के समर्थक व उनके विचारों का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। उनके द्वारा द्वि–राष्ट्र सिद्धान्त का विरोध किया गया। और वे भारत विभाजन के भी विरोधी थे।

1. **साम्प्रदायिक दंगे–** भारत विभाजन के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान दोनों के हिस्से दंगों की चपेट में आ गये। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहरों में हजारों लोग दंगों के शिकार हुऐ।
2. **आबादी का स्थानान्तरण–** विभाजन के परिणामस्वरूप लाखों की संख्या में लोग स्थानान्तरित हुए। यह स्थानान्तरण आकस्मिक अनियोजित और त्रासदी पूर्ण था। केवल धर्म के नाम पर लोगों को अपना घरबार छोड़ना पड़ा।
3. **शरणार्थी जीवन–** विभाजन के परिणामस्वरूप हजारों लोगों ने कई वर्षों तक शरणार्थी शिविरों में अपना जीवन व्यतीत किया। इनका जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों में गुजरा। शरणार्थियों के साथ दोनों ओर अनेक अत्याचार हुऐ और औरतों और बच्चों को बहुत कष्ट सहन करने पड़े।
4. **वित्तीय सम्पदा का विभाजन–** विभाजन केवल लोगों का ही नहीं हुआ बल्कि सरकारी कर्मचारियों से लेकर टेबल कुर्सी टाइप–राइटर और उद्योगों तक को बँटवारे से होकर गुजरना पड़ा। इन प्रशासनिक और वित्तीय संसाधनों के विभाजन में बहुत कठिनाई आई।

विभाजन ने अनेक परिस्थितियों को जन्म दिया किन्तु भारत के पास इन चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। भारत के पास विभाजन के पश्चात सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारतीय क्षेत्र में आये शरणार्थियों का उचित पुर्नवास और भारत के क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बाँधना तथा स्वतन्त्र रियासतों को भारत संघ में मिलाना।

मुस्लिम लीग– मुस्लिम लीग का गठन 1906 ई0 को नवाब सलीमुल्ला खाँ के नेतृत्व में ढाका में किया गया। मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र सिद्धान्त का समर्थक था इसके द्वारा अलग मुस्लिम देश बनाने की वकालत की गई ।

सरदार बल्लभभाई पटेल– इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 मे गुजरात में हुआ था। पटेल भारत के स्वतन्त्रता सेनानी, प्रथम गृह मंत्री व प्रथम उप–प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से अलंकृत किया।

देशी रिसायत– ब्रिटिश इंडिया मुख्यतः दो हिस्सों में बँटा था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्त वाले भारतीय प्रान्त थे जो सीधे अंग्रेज सरकार के नियंत्रण में थे। दूसरी ओर कुछ ऐसे छोटे–छोटे राज्य थे जहाँ राजा का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। राजाओं को घरेलु शासन के मामलों में स्वायत थे। इन राज्यों या रियासतों देशीय रियासतें कहा जाता है। स्वतन्त्रता के समय लगभग 565 छोटी बड़ी देशीय रियासतें थीं। स्वतन्त्रता के पश्चात भारत सरकार के लिए राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिए इन देशीय रियासतों का भारत संघ में विलय करना एक बड़ी चुनौती थे।

देशी रियासतों का भारत संघ में विलय– मजबूत भारत के निर्माण के लिये देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय बहुत आवश्यक था। भारत की अन्तरिम सरकार ने देशीय रियासतों के विलय के लिए एक सहमति पत्र तैयार किया। इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। भारत की अन्तरिम सरकार ने देशी रियासतों का भारत संघ में विलय करने के लिए प्रयास स्वतन्त्रता से पूर्व ही प्रारम्भ कर दिये थे। अधिकांश रियासतें 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही भारत संघ में विलय के लिए सहमति प्रदान कर चुके थे। किन्तु

इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
भारत सरकार द्वारा देशी रियासतों का भारत संघ में विलय करने के लिए बनाये गये सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए तैयार हैं।

कुछ देशीय रियासतो के भारतीय संघ में विलय को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय करने में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।किन्तु कुछ देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।

हैदराबाद रियासत– आजादी के समय हैदराबाद एक स्वतन्त्र रियासत थी। हैदराबाद में आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तेलगांना के हिस्से थे। हैदराबाद में निजाम उस्मान अली खान का शासन था। निजाम हैदराबाद को एक स्वतन्त्र रियासत के रूप में बनाये रखना चाहता था। किन्तु हैदराबाद की अधिकांश जनता भारत संघ में अपना विलय चाहती थी। इसके लिए रियासत के लोगों ने निजाम के विरूद्व आंदोलन की शुरूआत की। आंदोलन को बढ़ता देख निजाम ने इसे कुचलने के लिए अपने अत्याचारी सैनिक जिन्हें 'रजाकार' के नाम से जाना जाता था भेज दिये । अत्याचार बढ़ने के कारण भारत सरकार ने सितम्बर 1948 में भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेज दिया इस प्रकार सैनिक कार्यवाही द्वारा 17 सितम्बर 1948 को हैदराबाद रियासत का विलय भारतीय संघ में हुआ।

जूनागढ़– जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण–पश्चिम में स्थित एक रियासत थी। यहाँ नवाब महावत खान का शासन था जो जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करना चाहता था जबकि वहाँ की अधिकाँश जनता हिन्दु थी जो भारत संघ में अपना विलय चाहती थी। भारत सरकार ने सैनिक दबाव डालकर नवाब पर जनमत संग्रह कराने का दबाव डाला। बढ़ते सैन्य दबाव को देखकर नवाब पाकिस्तान भाग गया। इसके पश्चात जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया और 99 प्रतिशत लोगों ने भारत के पक्ष में अपना मत डाला। इस प्रकार जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ भारत संघ में शामिल हुआ।

मणिपुर रियासत– आजादी के समय में मणिपुर में महाराजा बोधचन्द्र सिंह का शासन था। भारत सरकार ने महाराजा पर राजनीति व कूटनीतिक दबाव डालकर भारत संघ में विलय के लिए राजी कर लिया और इसके एवज में राजा को आन्तरिक मामलों में स्वायत्ता देने का आश्वासन दिया। जनमत के दबाव में 1948 में मणिपुर में पहली बार सार्वभौमिक मताधिकार करवाया गया और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई।

जम्मू–कश्मीर रियासत– जम्मू–कश्मीर में आजादी के समय राजा हरिसिंह का शासन था। वह जम्मू–कश्मीर को एक स्वतन्त्र रियासत के रूप में बनाये रखना चाहता था। किन्तु पाकिस्तानी सैनिकों व कबाइली लोगों के आक्रमण के कारण राजा हरिसिंह ने भारत से सैन्य सहायता की गुहार लगाई। भारत ने राजा हरिसिंह के अनुरोध को स्वीकारते हुए उनके समक्ष भारत संघ में विलय की शर्त रखी। राजा हरिसिंह ने इस समझौते को स्वीकारते हुए जम्मू–कश्मीर का विलय भारत संघ में किया।

परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न

1. देशी रियासतें किसे कहते है ?
2. इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसे कहते हैं ?
3. किन चार देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय अन्य रियासतों की तुलना में कठिन साबित हुआ।

राज्यों का पुनर्गठन

राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया देशी रियासतों के विलय के बाद समाप्त नहीं हुई क्योंकि ब्रिटिश शासन में प्रान्तों के गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा मात्र थी। ब्रिटिश सरकार जितने क्षेत्र को जीत लेती थी। उतने क्षेत्र को सुविधा के हिसाब से एक नया प्रान्त बना लेती थी। किन्तु स्वतन्त्रता के दौरान और उसके पश्चात राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाये इसकी चर्चा चलती रही स्वतन्त्रता के बाद भी राज्यों के पुनर्गठन पर विशेष बल दिया गया। क्योंकि राज्यों का सफल पनर्गठन एक मजबूत राष्ट्र के लिए आवश्यक शर्त थी। इसके बल पर एक अखण्ड और प्रभुसत्तापूर्ण राष्ट्र का निर्माण संभव था।

राज्यों के पुनर्गठन से तात्पर्य नये राज्यों का निर्माण और पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन तथा नये विजीत राज्यों को भारत संघ में विलय की कार्यवाही से लगाया जाता है।

राज्यों के पुनर्गठन की मॉंग– राज्यों के पुनर्गठन की मॉंग आजादी के पूर्व से हीं चली आ रही थी। 1920 में कॉंग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मॉंग की गई। इसके पश्चात 1928 में राज्यों के पुनर्गठन की मॉंग को लेकर श्री मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भाषा, जनईच्छा, जनसंख्या, भौगोलिक और वित्तीय स्थिति को राज्य के गठन का आधार बनाने की सिफारिश की। आजादी के बाद भी राज्य के गठन का आधार क्या हो इसको लेकर मतभेद बने रहें। आजादी के तुरन्त बाद एस.के.दर समिति का गठन किया गया। दर समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया।

आन्ध्र प्रदेश राज्य का गठन– आजादी के पश्चात मद्रास प्रान्त से आन्ध्र प्रदेश राज्य की गठन की मॉंग को लेकर तेलूगु भाषीय लोगों ने आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। आन्दोलन शुरूआत में शान्तिपूर्ण और अंहिंसक था। किन्तु वरिष्ठ कॉंग्रेसी और गॉंधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। इस कारण अहिन्सा आंदोलन हिन्सा में परिवर्तित हो गया। इस हिन्सा से जन और धन दोनों की हानि हुई। आखिरकार दिसम्बर 1952 में प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने आन्ध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर दी। और 01 अक्टूबर 1953 को आन्ध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया।

आन्ध्र प्रदेश राज्य के गठन के पश्चात अन्य राज्यों में भी राज्य पुनर्गठन की मॉंग उठने लगी। इन मॉंगों और संघर्षो के कारण 22 दिसम्बर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया।

पोट्टी श्रीरामुलु– पोट्टी श्रीरामुलु आन्ध्र प्रदेश के वरिष्ठ कॉंग्रेसी व गॉंधीवादी नेता थे। इन्होंनें गॉंधीजी के साथ कई आन्दोलनों में भाग लिया। तेलुगु भाषीय आन्ध्र प्रदेश की मॉंग को लेकर इन्होंने 1952 में अहिंसक आन्दोलन की शुरूआत की । सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश की मॉंग न माने जाने पर इन्होंने 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन (भूख हडताल) शुरूआत की। 56 दिनों की भुख हडताल के बाद 15 दिसम्बर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई।

फजल अली आयोग– 22 दिसम्बर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसमें तीन सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के. एम. पाणिक्कर थे। इस आयोग का गठन का मुख्य उद्देश्य राज्य गठन का आधार भाषा होनी चाहिए या नहीं इस बात की जॉंच करना था । आयोग ने 30 सितम्बर 1955 को अपनी रिर्पोट सरकार को सौंपी। और आयोग ने राष्ट्रीय एकता प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास और भाषा को राज्य के पुनर्गठन का आधार माना।

फजल अली समिति की रिर्पोट के आधार पर सन् 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 नये राज्य और 6 केन्द्र शासित प्रदेश बनाये गये। किन्तु इसके कुछ समय बाद ही सन् 1960 से राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ हुई। देश के अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन को लेकर मॉंग उठने लगी। इसके आधार पर

- सन् 1960 में बंबई राज्य को जनआन्दोलन के कारण गुजराती व मराठी भाषीय क्षेत्रों को अलग कर गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बनाये गये।
- 1963 में असम से अलग करके नागालैण्ड राज्य बनाया गया।
- इसके पश्चात भी भाषा के आधार पर राज्यों की मॉंग आगे बढ़ती रही। सन् 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब हरियाणा और हिमांचल राज्य बनाये गये।
- सन् 1972 में असम से अलग करके मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बनाये गये।
- सन् 1987 में मिजोरम, अरूणांचल प्रदेश और गोवा राज्य अस्तित्व में आये।
- सन् 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड और झारखण्ड राज्यों का गठन किया गया।
- सन् 2014 में आन्ध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया।

वर्तमान में राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 29 राज्य और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों का गठन हो चुका है। आज भी अनेक राज्य की माँग जारी है। सरकार इन माँगों में सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रही है।

परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न

1. स्वतन्त्रता के बाद राज्य पुर्नगठन आयोग की सिफारिशों को समझाते हुए राज्यों का पुर्नगठन समझाइए ?
2. आन्ध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई ?
3. राज्य पुर्नगठन अधिनियम कब लागु हुआ ?
4. पोट्टी श्रीरामुलु ने आन्ध्र प्रदेश के निर्माण के सम्बन्ध में क्या प्रयास किये?